कार्यालय महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः 31-21(32) पुनर्गठन/आधुनिकीकरण/ATS/09/695 दिनांकः 23/04/2009

स्थाई आदेश क्रमांकः 4/2009

विषयः— आतंकवाद निरोधक दस्ता के परिचालन हेतु अनुदेश।

राजस्थान पुलिस अधिनियम–2007 के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा आदेश क्रमांक एफ.14(22)गृह–9/2008 दिनांक 03/04..09.2008 द्वारा प्रदेश में आतंकवादी घटनाओं से निपटने तथा उन पर प्रभावी नियंत्रण के उद्देश्य से राजस्थान पुलिस में "आतंकवाद निरोधक दस्ता" नामक पूर्ण कालिक संस्था का गठन किया गया है। उक्त संस्था के परिचालन हेतु आवश्यक अनुदेश संलग्न है।

संलग्नः— उपरोक्तानुसार

(पी.के.तिवारी)
महानिदेशक पुलिस

प्रतिलिपिः— निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।

1. समस्त अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, राजस्थान।
2. समस्त महानिरीक्षक पुलिस, राजस्थान एवं निदेशक, राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर।
3. समस्त उप महानिरीक्षक पुलिस, राजस्थान।
4. निदेशक, राजस्थान पुलिस दूर संचार, राजस्थान, जयपुर।
5. समस्त पुलिस अधीक्षक, राजस्थान एवं प्रधानाचार्य, राजस्थान पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र, जोधपुर।
6. समस्त कमाडेंट आर.ए.सी. एवं एम.बी.सी., राजस्थान।
7. समस्त कमाडेंट पी.टी.एस. एवं पी.एम.डी.एस., बीकानेर, राजस्थान।

महानिदेशक पुलिस

आतंकवाद निरोधक दस्ता

परिचालन हेतु अनुदेश

अनुक्रमणिका

क्रमांक	विषय वस्तु	पृष्ठ संख्या
1.	गठन एवं सामान्य नियंत्रण	1
2.	दायित्व एवं उद्देश्य	1–3
3.	विधिक अधिकार	3–5
4.	समन्वय	5–6
5.	आतंकवाद निरोधक दस्ते का नियंत्रण एवं निर्देशन	6–7
6.	प्रशासनिक ढ़ांचा	7
7.	जनशक्ति	7–9
8.	प्रशिक्षण	9–10
9.	शस्त्रागार	10
10.	जनसम्पर्क	10
11.	आवासीय व्यवस्था	10–11
12.	सामान्य	11

2.2. आसूचना का एकत्रीकरण, विश्लेषण, सम्प्रेषण एवं संकलन।

2.3. अन्य राज्यों की आसूचना इकाइयों तथा केंद्रीय एजेंसियों आदि से समन्वय।

2.4. राज्य में किसी आतंकवादी ग्रुप की उपस्थिति/गतिविधि के सम्बंध में प्राप्त आसूचना पर फॉलो–अप ऑपरेशन सहित समस्त कार्रवाई करना।

2.5. ऐसे आतंकवादी ग्रुपों की मदद करने वाले एवं उनके शरण दाताओं के विरुद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करना एवं कराना।

2.6. ऐसे संगठित आतंकवादी तत्वों जिनके विदेशी अभिसूचना एजेंसियों से सम्पर्क हैं, या जिनकी कार्यवाही से राष्ट्रीय एकता व सम्प्रभुता को खतरा हो की गतिविधियों का अनुश्रवण (Monitoring) करना।

2.7. आई.एस.आई. एजेंटों, आतंकवादी एवं राष्ट्रविरोधी तत्वों को निष्प्रभावी करनें हेतु उनके विरुद्ध कठोर एवं प्रभावी कानूनी कार्रवाई करना एवं अन्य पुलिस इकाइयों से सहयोग कर ऐसी कार्रवाई करना।

2.8. प्रदेश के आसूचना विभाग के सतत सम्पर्क में रहकर प्राप्त सूचना का अनुश्रवण तथा किसी विशेष जानकारी के प्राप्त होने पर आसूचना विभाग से सहायोग प्राप्त करना।

2.9. महत्वपूर्ण आतंकवादी घटनाओं का अन्वेषण एवं प्रचलित अभियोजन में सहयोग।

आतंकवाद निरोधक दस्ता

परिचालन हेतु अनुदेश

1. गठन एवं सामान्य नियंत्रण

राजस्थान पुलिस अधिनियम–2007 के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा आदेश संख्या एफ.14(22) ग्रह–9/2008 दिनांक 3/4.09.2008 द्वारा प्रदेश में आतंकवादी घटनाओं से निपटने हेतु तथा उन पर प्रभावी नियंत्रण किये जाने के उद्देश्य से राजस्थान पुलिस में "आतंकवाद निरोधक दस्ता" नामक पूर्णकालिक संस्था का गठन किया गया है।

2. दायित्व एवं उद्देश्य

राज्यादेश द्वारा आतंकवाद निरोधक दस्ते के दायित्व व उद्देश्य निर्धारित किये गए है।

आतंकवाद निरोधक दस्ता का दायित्व प्रदेश में विभिन्न प्रकार की आतंकवादी व देशद्रोही गतिविधियों के विरुद्ध विशिष्ट आसूचना संकलित करके जिला पुलिस व राज्य सरकार के अन्य विभाग के समन्वय से प्रभावी अभियान चलाना तथा आतंकवादी एवं देशद्रोही तत्वों के विरुद्ध कार्रवाई करना है। यह दस्ता आतंकवादियों के विरुद्ध विशेष कार्य बल के रुप में कार्य करेगा। आतंकवाद निरोधक दस्ते द्वारा आतंकवादियों के कार्रवाई के प्रमुख क्षेत्र निम्न प्रकार होंगेः–

2.1. सुरक्षा की दृष्टि से संवेदनशील स्थानों का चिन्हीकरण/राष्ट्रविरोधी तत्वों के छिपने/रहने की सम्भावना वाले स्थानों पर सम्पर्क सूत्र स्थापित करना।

2.2. आसूचना का एकत्रीकरण, विश्लेषण, सम्प्रेषण एवं संकलन।

2.3. अन्य राज्यों की आसूचना इकाइयों तथा केंद्रीय एजेंसियों आदि से समन्वय।

2.4. राज्य में किसी आतंकवादी ग्रुप की उपस्थिति/गतिविधि के सम्बंध में प्राप्त आसूचना पर फॉलो–अप ऑपरेशन सहित समस्त कार्रवाई करना।

2.5. ऐसे आतंकवादी ग्रुपों की मदद करने वाले एवं उनके शरण दाताओं के विरुद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करना एवं कराना।

2.6. ऐसे संगठित आतंकवादी तत्वों जिनके विदेशी अभिसूचना एजेंसियों से सम्पर्क हैं, या जिनकी कार्यवाही से राष्ट्रीय एकता व सम्प्रभुता को खतरा हो की गतिविधियों का अनुश्रवण (Monitoring) करना।

2.7. आई.एस.आई. एजेंटों, आतंकवादी एवं राष्ट्रविरोधी तत्वों को निष्प्रभावी करने हेतु उनके विरुद्ध कठोर एवं प्रभावी कानूनी कार्रवाई करना एवं अन्य पुलिस इकाइयों से सहयोग कर ऐसी कार्रवाई करना।

2.8. प्रदेश के आसूचना विभाग के सतत सम्पर्क में रहकर प्राप्त सूचना का अनुश्रवण तथा किसी विशेष जानकारी के प्राप्त होने पर आसूचना विभाग से सहायोग प्राप्त करना।

2.9. महत्वपूर्ण आतंकवादी घटनाओं का अन्वेषण एवं प्रचलित अभियोजन में सहयोग।

2.10. राष्ट्र की एकता व अखंडता को प्रभावित करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध अन्य विधिक कार्रवाई जो महानिदेशक पुलिस, राजस्थान द्वारा निर्देशित की जाए।

3. <u>विधिक अधिकार</u>

3.1. आतंकवाद निरोधक दस्ता, राजस्थान द्वारा राजस्थान सरकार के किसी भी विभाग, शाखा अथवा इकाई से अभिसूचना एवं अन्य विवरण प्राप्त किये जा सकेंगे तथा इस दस्ते का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण राजस्थान राज्य होगा। अपने कार्यों के सम्यक सम्पादन हेतु आतंकवाद निरोधक दस्ता अपने कार्यक्षेत्र में स्थित किसी भी थाने में उक्त प्रकार के व्यक्तियों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कराने एवं उसका अन्वेषण स्वयं ग्रहण करने एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अनुरुप पूर्ण करने में सक्षम होगा।

3.2. आतंकवादी निरोधक दस्ते में नियुक्त अधिकारियों/कर्मचारियों को अपने दायित्व के निर्वहन में दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 में वर्णित समस्त अधिकार प्राप्त होंगे। इस दायित्व के सम्पादन में उन्हें जिला पुलिस द्वारा आवश्यक सहयोग व सुविधा प्रदान करनी अनिवार्य होगी।

3.3. सामान्यतया आतंकवादी निरोधक दस्ते द्वारा पंजीकृत किये गए/प्रदेश के किसी भी थाने में पंजीकृत कराए गये अभियोग का अन्वेषण आतंकवादी विरोधी दस्ते द्वारा ही किया जाएगा। यदि अभियोग की प्रकृति इस प्रकार की है जिसका आतंकवादी घटनाओं

से कोई सम्बंध नहीं है तथा अपराध सामान्य प्रकृति का है तो अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, आतंकवाद निरोधक दस्ता एवं विशेष ऑपरेशन ग्रुप, राजस्थान के निर्देश पर उक्त अभियोग का अन्वेषण सम्बंधित थाने द्वारा किया जाएगा।

3.4. राजस्थान पुलिस के अंतर्गत कार्यरत सभी विभागों/शाखाओं को आतंकवादियों/उग्रवादियों, आतंकवादी घटनाओं/उग्रवादी घटनाओं से सम्बद्ध सूचना अथवा इस प्रकार की घटनाओं के कारित होने की सूचना या सम्भावना की सूचना प्राप्त होने पर तत्काल अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, आतंकवादी निरोधक दस्ता एवं विशेष ऑपरेशन ग्रुप अथवा महानिरीक्षक पुलिस, आतंकवादी निरोधक दस्ता एवं विशेष ऑपरेशन ग्रुप को उपलब्ध कराया जाना बाध्यकारी होगा।

3.5. राजस्थान के अंतर्गत किसी भी थाने में कोई इस प्रकार की घटना घटित होती है जिनके सम्बंध में यह विश्वास करने का कारण हो कि घटना आतंकवादी तत्वों द्वारा कारित की गई है या कहीं भी किसी भी सार्वजनिक स्थल पर बम विस्फोट या अंधाधुंध फायरिंग या अन्य आतंकवादी घटना होती है जिससे जन सामान्य में दहशत उत्पन्न हो तो उसकी सूचना तत्काल अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस/महानिरीक्षक पुलिस, आतंकवादी निरोधक दस्ता एवं विशेष ऑपरेशन ग्रुप को उपलब्ध कराया जाना बाध्यकारी होगा। राजस्थान पुलिस के अंतर्गत कार्यरत सभी विभाग व शाखाओं द्वारा आतंकवादी/उग्रवादी घटनाओं, बम विस्फोट, अंधाधुंध फायरिंग के

विषय में आतंकवादी निरोधक दस्ते को सूचना प्रेषित किये जाने के साथ ही साथ जिले के सम्बंधित पुलिस उच्चाधिकारीगण का दायित्व होगा कि वे दस्ते के अधिकारियों के घटनास्थल पर पहुँचने तक नियमानुसार विधि प्रदत्त अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करें।

3.6. आतंकवाद निरोधक दस्ते में पदस्थापित उप निरीक्षक एवं उससे ऊपर के अधिकारी राज्य के किसी थाने, राज्य विशेष शाखा के जोन एवं राज्य के अन्य किसी विभाग से सूचना व विवरण प्राप्त करने के लिए अधिकृत हैं तथा संबंधित थाना, जोन एवं विभाग इन्हे ऐसी सूचना विवरण प्रदान करने के लिए बाध्य होगा।

4. समन्वय

4.1 जिला पुलिस से समन्वय

आतंकवाद निरोधक दस्ते के विभिन्न स्तर के अधिकारी तथा जिला पुलिस के अधिकारी आपस में निकट समन्वय बनाये रखेंगे तथा आतंकवादी घटनाओं, गतिविधियों तथा आतंकवादी तत्वों के सम्बंध में आसूचनाओं का आदान–प्रदान करेंगे। यदि किसी अभियान में जन शक्ति व संसाधन की अतिरिक्त आवश्यकता पड़ती है तो सम्बंधित जिला पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, रेलवे एवं पुलिस के अन्य विभागों द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा।

4.2 जन सामान्य से समन्वय

4.2.1 अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस/महानिरीक्षक पुलिस, आतंकवादी निरोधक दस्ता एवं विशेष ऑपरेशन ग्रुप संदिग्ध व्यक्तियों

द्वारा इंटरनेट आदि के माध्यम से सूचनाओं के आदान–प्रदान को नियमानुसार अन्तःअवरोध (Intercept) कर सकेंगे।

4.2.2 दस्ते के अधिकारियों द्वारा विशिष्ट प्रकार के विशेषज्ञों को बाजार से संविदा पर नियुक्त करने की अनुमति होगी। विशेषज्ञों की नियुक्ति में अत्यधिक सर्तकता बरती जाएगी। नियुक्ति से पूर्व इस कार्य के लिए नियुक्त व्यक्ति के पूर्व आचरण की जाँच अवश्य कराई जाएगी।

5. आतंकवादी निरोधक दस्ते का नियंत्रण एवं निर्देशन

5.1 आतंकवादी निरोधक दस्ते का प्रशासनिक नियंत्रण अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, आतंकवादी निरोधक दस्ता एवं विशेष ऑपरेशन ग्रुप में निहित रहेगा। सभी अधिकारियों/कर्मचारियों का पर्यवेक्षण अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, आतंकवादी निरोधक दस्ता एवं विशेष ऑपरेशन ग्रुप द्वारा किया जाएगा। अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, आतंकवादी निरोधक दस्ता एवं विशेष ऑपरेशन ग्रुप यह नियंत्रण महानिदेशक पुलिस, राजस्थान के सामान्य निर्देशन के अंतर्गत निष्पादित करेंगे।

5.2 महानिरीक्षक पुलिस, आतंकवादी निरोधक दस्ता एवं विशेष ऑपरेशन ग्रुप इस संगठन में नियुक्त अधिकारियों तथा कर्मचारियों की नियुक्ति उनके कर्त्तव्यों का निर्धारण, उनके प्रशिक्षण, अनुशासन तथा सुख–सुविधा हेतु उत्तरदायी होंगे। पुलिस महानिरीक्षक नियुक्तियों तथा कर्त्तव्यों के निर्धारण के लिए अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस,

आतंकवादी निरोधक दस्ता एवं विशेष ऑपरेशन ग्रुप राजस्थान के अनुमोदन के उपरांत कार्रवाई करेंगे।

5.3 आतंकवादी निरोधक दस्ते के आंतरिक प्रशासन के सम्बंध में दस्ते के अधिकारी समय–समय पर उपने रतर से यथोचित निर्देश जारी करेंगे।

6. प्रशासनिक ढ़ांचा

आतंकवादी निरोधक दस्ते में राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी स्वीकृतियों के अनुरुप पुलिस अधिकारी/पुलिसकर्मी कार्यरत रहेंगे। इन पर प्रशासनिक नियंत्रण अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, आतंकवादी निरोधक दस्ता एवं विशेष ऑपरेशन ग्रुप राजस्थान का रहेगा। कार्यों के सम्पादन के लिए छोटी–छोटी इकाइयाँ गठित की जा सकती हैं जो किसी विशेष प्रयोजन या आतंकवादियों के किसी समूह विशेष के विरुद्ध कार्रवाई करेंगी।

दस्ते के अधिकारियों द्वारा कार्यों के समय–सीमा में सम्पादन के लिए समीक्षा की उपयुक्त व्यवस्था की जाएगी।

7. जनशक्ति

7.1 आतंकवादी निरोधक दस्ते में अधिकारी/कर्मचारियों की नियुक्ति राजस्थान पुलिस की अन्य शाखाओं से की जाएगी। आतंकवादी निरोधक दस्ते का कार्य अत्यंत संवेदनशील है तथा जनशक्ति बहुत सीमित है। अतः कर्मियों का चयन एक स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा किया जाएगा। स्क्रीनिंग कमेटी में महानिरीक्षक पुलिस, आतंकवादी निरोधक

दस्ता एवं विशेष ऑपरेशन ग्रुप, उप महानिरीक्षक पुलिस, आतंकवादी निरोधक दस्ता व पुलिस अधीक्षक, आतंकवादी निरोधक दस्ता होंगे। सभी कर्मियों की नियुक्ति इस कमेटी की संस्तुति तथा अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, आतंकवादी निरोधक दस्ता एवं विशेष ऑपरेशन ग्रुप, राजस्थान के अनुमोदन के बाद की जाएगी। नियुक्ति के समय निम्न बातों का विशेष रखा जाएगाः–

7.1.1 सामान्यतया आतंकवादी निरोधक दस्ते में इस दस्ते के पुलिस अधीक्षक के माध्यम से प्राप्त आवेदन पत्रों वाले पुलिस कर्मियों को नियुक्त जाएगा।

7.1.2 न्यूनतम शैक्षणिक योग्यताः– कानिस्टेबल से सहायक उप निरीक्षक पुलिस 12 वीं कक्षा तथा उप निरीक्षक– स्नातक।

7.1.3 सेवा अभिलेख अच्छा हो तथा पिछले तीन वर्षों में कोई दुश्चरित्र लेख न प्रदान किया गया हो।

7.1.4 आतंकवादी निरोधक दस्ते में कम्प्यूटर की जानकारी रखने वाले, विज्ञान स्नातक, इण्टरमीडिएट स्तर पर अंग्रेजी विषय वाले, शार्प शूटर या अन्य कोई विशेष दक्षता रखने वाले कर्मियों को वरीयता दी जाएगी।

7.1.5 कर्मी का स्वास्थ्य अच्छा हो तथा किसी गम्भीर रोग से पीड़ित न हो।

7.1.6 दस्ते के फील्ड स्टाफ में पुलिस कर्मी की आयु 45 वर्ष से अधिक न हो।

7.1.7 पुलिस कर्मी का सत्यनिष्ठा प्रमाण–पत्र न रोका गया हो।

7.2. आतंकवादी निरोधक दस्ते में पुलिस कर्मियों की नियुक्ति अवधि लगाातार 05 वर्ष होगी। विशेष परिस्थितियों में महानिदेशक पुलिस, राजस्थान द्वारा छूट प्रदान की जा सकती है। प्रशासनिक कारणों से किसी भी पुलिस कर्मी को किसी भी समय राजस्थान पुलिस की अन्य शाखा/इकाई में स्थानांतरण/प्रत्यावर्तित किया जा सकता है।

8. <u>प्रशिक्षण</u>

8.1 आतंकवादी निरोधक दस्ते में नियुक्त होने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए एक प्रारम्भिक प्रशिक्षण तथा नियुक्ति के दौरान दक्षता बढ़ाने हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जाएंगे। दस्ते के अधिकारी प्रशिक्षण निदेशालय के सहयोग से प्रारम्भिक प्रशिक्षण तथा नियुक्ति के दौरान प्रशिक्षण की वार्षिक रुपरेखा तैयार कर क्रियान्वयन के उत्तरदायी होंगे।

8.2 आतंकवाद निरोधक दस्ते में नियुक्त होने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों को आतंकवादी गतिविधियों की रोकथाम के लिए प्रदेश के बाहर केंद्रीय पुलिस बलों के अन्य प्रशिक्षण केंद्रों द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कोर्सो में आवश्यकतानुसार भेजा जाएगा।

8.3 आतंकवाद निरोधक दस्ते में नियुक्त जयपुर स्थित अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा वार्षिक फायरिंग अभ्यास तथा कार्य दक्षता बढ़ाने हेतु अन्य फायरिंग अभ्यास कमांडेंट, पाँचवीं बटालियन, आर.ए.सी. के सहयोग से किया जाएगा। जयपुर से बाहर स्थित

अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा यह अभ्यास उन स्थानों पर स्थित आर. ए.सी. बटालियन के सहयोग से किया जाएगा।

9. शस्त्रागार

आतंकवादी निरोधक दस्ते के जयपुर स्थित समस्त शस्त्र पाँचवी बटालियन, आर.ए.सी. के शस्त्रागार में रखे जाएंगे। पुलिस अधीक्षक, आतंकवादी निरोधक दस्ता कमांडेंट, पाँचवीं बटालियन, आर. ए.सी के सहयोग से शस्त्रों के रख–रखाव की उचित एवं त्रुटिहीन व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। शस्त्रों के उपयोग/रख–रखाव/सुरक्षा में उपलब्ध निर्देशों का पालन किया जाएगा। जयपुर से बाहर शस्त्र सुविधानुसार जिला पुलिस लाईन/आर.ए.सी. बटालियन में रखे जा सकेंगे।

10. जनसम्पर्क

आतंकवादी निरोधक दस्ते का कार्य गोपनीय प्रकृति का है। इसके सम्बंध में प्रेस प्रतिनिधियों को जानकारी केवल अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, आतंकवादी निरोधक दस्ता एवं विशेष ऑपरेशन ग्रुप, राजस्थान तथा महानिदेशक पुलिस, राजस्थान द्वारा दी जाएगी।

11. आवासीय व्यवस्था

आतंकवादी निरोधक दस्ता एक नवगठित एवं संवेदनशील संगठन है। इसलिए इसकी नियुक्ति के स्थल पर इनको प्राथमिकता के आधार पर पुलिस लाईन में सुरक्षित आवास उपलब्ध कराया जाएगा। यदि किसी कर्मी को कार्य स्थल पर राजकीय आवास की

सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाती है तो ऐसे कर्मी को अपने पूर्व के आवास को रखने की अनुमति दी जाएगी। यदि किसी पुलिस कर्मी द्वारा उप महानिरीक्षक पुलिस, आतंकवादी निरोधक दस्ता के माध्यम से आवास बनाए रखने के लिए आवेदन–पत्र जिला पुलिस अधीक्षक/कमांडेंट को प्रस्तुत किया जाता है तो उसे अनुमति प्रदान की जाएगी। जिस पुलिस कर्मी के पास कोई भी राजकीय आवास उपलब्ध है उसे मकान किराया भत्ता नहीं दिया जाएगा।

12. <u>सामान्य</u>

12.1. इस संगठन में पुरस्कार के लिए राजस्थान पुलिस की अन्य शाखाओं की तरह प्रक्रिया अपनाई जाएगी।

12.2. इस संगठन में नियुक्त अधिकारियों के लिए विभागीय कार्रवाई एवं दंड के लिए राजस्थान पुलिस में प्रचलित सेवा नियमावली के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

12.3. किसी भी पुलिस कर्मी के निलम्बित किये जाने पर उसे इस संगठन से पुलिस की अन्य शाखाओं में स्थानांतरित कर दिया जाएगा।

12.4. आतंकवाद निरोधक दस्ते में नियुक्ति के दौरान हुए प्रकरणों के संदर्भ में दंडित पुलिस कर्मियों को संगठन में वापस नहीं लिया जाएगा।